

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-10062021-227482
SG-DL-E-10062021-227482

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161]	दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2021/ज्येष्ठ 19, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 48
No. 161]	DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2021/JYAISTHA 19, 1943	[N. C. T. D. No. 48

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 19 अप्रैल, 2021

फा. सं. एए/डीओटीसी/2017/एचबीएसी/3042/186-195.—मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण नियमावली, 2014 के नियम 12 के साथ पठित मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) की धारा 9 की उप धारा (4) के खण्ड (ख) के अनुसरण में तथा इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, सरिता विहार, मथुरा रोड, दिल्ली-76, नई दिल्ली के संबंध में दिनांक 20 जनवरी, 2014 की एसओ 217 (ई) के अनुसार भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद् द्वारा इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, सरिता विहार, मथुरा रोड, दिल्ली-76, के लिए अधिसूचना की तिथि से अस्पताल आधारित प्राधिकार समिति का पुनर्गठन करते हैं, समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात् :-

- डॉ० रितु रावत
उप-निदेशक चिकित्सा सेवाएं,
इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली. अध्यक्ष
- डॉ० जे. एम. दुआ
वरिष्ठ परामर्शदाता, आंतरिक चिकित्सा,
इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली. सदस्य

3.	डॉ० पी. एन. दुबे वरिष्ठ परामर्शदाता, बाल चिकित्सा, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली.	सदस्य
4.	श्रीमान ए. एस. अवस्थी (सेवानिवृत्त) निदेशक, उच्च शिक्षा/विशेष सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य
5.	श्रीमान आर.सी.गोयल विशेष कार्याधिकारी, होली फैमिली अस्पताल, नई दिल्ली.	सदस्य
6.	सचिव (स्वास्थ्य) अथवा नामित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार नौवा तल, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली.	सदस्य
7.	महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अस्पताल सेल, एफ-17, कड़कड़डूमा, दिल्ली -32.	सदस्य

यह माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अजय बिष्ट, उप सचिव

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 19th April, 2021

F. No. AA/DOTC/2017/HBAC/3042/186-95.—In accordance with clause (b) of sub-section (4) of section 9 of the Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994 (42 of 1994) read with rule 12 of the Transplantation of Human Organs and Tissues Rules, 2014 and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section 3, Sub-section (ii), vide No. S.O. 217(E) dated 20th January, 2014 in so far as it relates to Indraprastha Apollo Hospital, Sarita Vihar, Mathura Road, Delhi-76, Hon'ble Health Minister, GNCT of Delhi hereby reconstitutes the Hospital Based Authorization Committee for Indraprastha Apollo Hospital, Sarita Vihar, Mathura Road, Delhi-76, consisting of the following persons with effect from the date of notification namely:

1.	Dr. Ritu Rawat Dy. Director Medical Services, Indraprastha Apollo Hospitals, New Delhi	Chairman
2.	Dr. J. M. Dua Sr. Consultant, Internal Medicine, Indraprastha Apollo Hospitals, New Delhi	Member
3.	Dr. P. N. Dubey Senior Consultant, Paediatrics Indraprastha Apollo Hospitals, New Delhi	Member
4.	Mr. A. S. Awasthi (Retd.) Director, Higher Edu/Spl. Secy. (Education), Government of NCT of Delhi	Member
5.	Mr. R. C. Goyal Officer on Special Duty Holy Family Hospital, New Delhi	Member
6.	Secretary (Health) or nominee Government of National Capital Territory of Delhi 9th Floor, Delhi Secretariat, IP Estate, New Delhi.	Member

7. Directorate General Health Services,
Government of National Capital Territory of Delhi
Hospital Cell, F-17 Karkardooma, Delhi-32.

Member

This issue with the prior approval of Honble Minister of Health GNCTD.

AJAY BISHT, Dy. Secy.